



कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड

भवन संख्या 23, लेन नं० 03, शास्त्री नगर, हरिद्वार रोड, देहरादून, 248005

Mail ID : ukmssbdun@gmail.com; Website : www.ukmssb.org Phone: 01352665366

पत्र संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/०६/२०२४-२५/५९८

दिनांक: २१ जुलाई, २०२६

चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) परीक्षा-२०२६

कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के रिक्त ४७ पदों के सापेक्ष अनर्ह घोषित अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन निस्तारण की सूची

एतद्वारा सूचित किया जाता है कि कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड द्वारा विज्ञापन संख्या: उ०चि०से०च०बो०/परी०/०६/२०२४-२५/२९४, दिनांक: ०९ अप्रैल २०२६ के माध्यम से कर्मचारी राज्य बीमा योजना, श्रम चिकित्सा सेवायें उत्तराखण्ड के अन्तर्गत चिकित्सा अधिकारी (एलोपैथिक) के रिक्त ४७ पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि **०५ मई, २०२६** निर्धारित की गई थी।

कार्यालय उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के पत्रांक— उ०चि०से०च०बो०/परी०/०६/२०२४-२५/५३८, दिनांक— ०६ जुलाई, २०२६ द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्रों की स्कूटनी के पश्चात् कतिपय अभ्यर्थियों को विज्ञापन में उल्लिखित मापदण्डों को पूर्ण नहीं करने या अर्हता धारित करने या श्रेणी-उपश्रेणी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने या वैध न होने के कारण या वांछित अभिलेख ऑनलाईन आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराने के कारण अनर्ह घोषित कर दिया गया था। ऐसे अनर्ह अभ्यर्थियों को अपनी अनर्हता के सापेक्ष प्रत्यावेदन पुष्ट साक्ष्य सहित दिनांक १० जुलाई २०२६ (सांय ०५:०० बजे) तक बोर्ड कार्यालय में ई-मेल आई०डी० पर अथवा अन्य किसी भी माध्यम से प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्दिष्ट किया गया था।

अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों एवं वांछित अभिलेखों पर बोर्ड द्वारा सम्यक् विचार किया गया। विचारोपरान्त ऐसे अभ्यर्थी, जिनके वांछित प्रमाण पत्र/अभिलेख पूर्ण पाये गये हैं, उन्हें अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार हेतु अर्ह सूची में सम्मिलित किया गया है तथा शेष अभ्यर्थियों को, उनके द्वारा अपने प्रत्यावेदनों के साथ उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के पुष्ट न होने एवं वांछित अभिलेख प्रस्तुत न करने/अपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने तथा कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत न करने पर बोर्ड द्वारा अन्तिम रूप से अनर्ह घोषित कर दिया गया है। ऐसे अनर्ह किये गये अभ्यर्थियों का विवरण तालिका संलग्न कर अभ्यर्थियों के सूचनार्थ प्रेषित की जा रही है। शेष अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु औपबन्धिक रूप से अर्ह घोषित किया गया है।

नोट— अर्ह अभ्यर्थी प्रवेश पत्र दिनांक दिनांक २५ जुलाई २०२६ से बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं।

संलग्नक—यथोपरि।

ह०/—
(प्रदीप जोशी),
सचिव।

चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2026 (श्रम विभाग हेतु) के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण

क्रमांक	पंजीकरण संख्या	अभ्युक्ति/अनर्हता का कारण	प्रत्यावेदन निस्तारण, यदि उपलब्ध कराया गया हो।
1.	4150100050	अभ्यर्थी द्वारा मात्र एम0बी0बी0एस0 प्रोविजनल डिग्री प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। अन्य वांछित यथा हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इण्टरमीडिएट प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस0 अंकतालिका एवं डिग्री प्रमाण पत्र, उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न कर अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
2.	4150100179	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन पत्र में उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 88886 दिनांक 20 मई 2020 का उल्लेख किया गया है, परन्तु आवेदन पत्र के साथ उत्तर प्रदेश मेडिकल काउंसिल प्रजीकरण प्रमाण पत्र संख्या 88886 दिनांक 20 मई 2020 संलग्न किया गया है। चूंकि प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में स्पष्टतया उल्लेख है कि “अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। ” अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
3.	4150100312	अभ्यर्थी डिप्लोमा इन फार्मैसी शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी डी0फार्मा0 के संलग्न किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2026 (श्रम विभाग हेतु) के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण

4.	4150100324	अभ्यर्थी द्वारा मात्र उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र अपलोड किया गया है। अन्य वांछित यथा स्थाई निवास प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, हाईस्कूल प्रमाण पत्र, इण्टरमिडिएट प्रमाण पत्र, एम0बी0बी0एस0 अंकतालिका एवं डिग्री प्रमाण पत्र इत्यादि संलग्न कर अपलोड नहीं किये गये हैं।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन के साथ प्रोविजनल 13 जून 2025 को निर्गत प्रोविजन उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं अन्य दस्तावेज उपलब्ध कराये गये हैं। साथ ही अभ्यर्थी द्वारा उत्तराखण्ड मेडिकल काउंसिल में स्थाई पंजीकरण हेतु आवेदन किया गया है इस सम्बन्ध में रसीद उपलब्ध कराई गई है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में स्पष्टतया उल्लेख किया गया है कि अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी।" अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
5.	4150100402	अभ्यर्थी हैलथ वर्कर तथा बी0ए0 शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी हैलथ वर्कर तथा बी0ए0 के संलग्न किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
6.	4150100431	अभ्यर्थी हैलथ वर्कर शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी हैलथ वर्कर के संलग्न/अपलोड किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
7.	4150100446	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र पूर्ण नहीं भरा गया है। साथ ही वांछित दस्तावेज संलग्न/अपलोड नहीं किये गये हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2026 (श्रम विभाग हेतु) के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण

8.	4150100484	अभ्यर्थी हरियाणा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
9.	4150100511	अभ्यर्थी द्वारा समस्त वांछित दस्तावेज संलग्न/अपलोड नहीं किये गये हैं।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
10.	4150100722	अभ्यर्थी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
11.	4150100788	अभ्यर्थी राजस्थान मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी के पास राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
12.	4150100900	अभ्यर्थी हरियाणा मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।" चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2026 (श्रम विभाग हेतु) के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण

13.	4150100925	अभ्यर्थी द्वारा राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
14.	4150100935	अभ्यर्थी हैलथ वर्कर शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी हैलथ वर्कर के संलग्न/अपलोड किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
15.	4150100948	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ राज्य चिकित्सा परिषद् उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
16.	4150100975	अभ्यर्थी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि “अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
17.	4150101007	अभ्यर्थी दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकृत है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि “अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह— अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन में दिल्ली मेडिकल काउंसिल में पंजीकरण किये जाने सम्बन्धी तथ्यों का उल्लेख किया गया है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में उल्लिखित है कि “अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है।” चूंकि अभ्यर्थी राज्य चिकित्सा परिषद्, उत्तराखण्ड में पंजीकृत नहीं है। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।

चिकित्सा अधिकारी परीक्षा-2026 (श्रम विभाग हेतु) के अन्तर्गत अंतिम रूप से अनर्ह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदनों का निस्तारण

18.	4150101032	अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र के साथ राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न/अपलोड नहीं किया गया है अपितु राज्य चिकित्सा परिषद उत्तराखण्ड में पंजीकरण किये जाने की रसीद संलग्न की गई है। प्रश्नगत पद हेतु जारी विज्ञापन के नियम 6 में स्पष्टतया उल्लेख है कि "अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में ऑनलाईन आवेदन करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत स्थाई पंजीकरण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी का राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड पंजीकरण आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत नहीं होगा, तो उसे अपात्र घोषित कर दिया जायेगा। अभिलेख सत्यापन के समय अभ्यर्थी को आवेदन-पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध/नवीनीकृत राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड पंजीकरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। राज्य चिकित्सा परिषद, उत्तराखण्ड में पंजीकरण हेतु किये गये आवेदन की रसीद मान्य नहीं होगी।" अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।
19.	4150101036	अभ्यर्थी डिप्लोमा इन फार्मसी शैक्षिक अर्हता धारित है तथा अभ्यर्थी द्वारा शैक्षिक अर्हता सम्बन्धी दस्तावेज भी डी0फार्मा0 के संलग्न किये गये हैं। चूंकि अभ्यर्थी प्रश्नगत पद हेतु वांछित शैक्षिक अर्हता धारित नहीं करती हैं। अतः अभ्यर्थी को अनर्ह घोषित किया जाता है।	अनर्ह- अभ्यर्थी द्वारा अनर्हता के सम्बन्ध में कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अतः अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित किया जाता है।